

## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कमल बनाम शांति देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई   अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित   अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी   पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/02/2026 को पेश हो।</p>	
17/02/2026	<p>आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई   संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2025 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को आराजी खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 400 रकबा 0.4200 हैक्टेयर के सम्बन्ध में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से तथा कब्जा काशत को मध्यनजर रखते हुये मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स अर्थात सरस-नरस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये   जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13/10/2025 पारित कर दिया गया   जिससे व्यथित होकर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13/10/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है   जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी  </p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया   उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है   विधि अनुसार एवं खातेदार के काशतकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है   अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13/10/2025 यथावत रखा जाकर अपील संख्या 1930/2025 खारिज की जाती है  </p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो  </p> <p>निर्णय आज दिनांक 17/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	